राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1110/2010/उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–द्वितीय,बहरोड, वृत–भिवाडी   अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेजे प्रा.लि.
उदयपुर   प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित

श्री आर. के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक   अपीलार्थी की ओर से
श्री आर. एन.गर्ग
अभिभाषक   प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 10.05.2017

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, घट–द्वितीय, बहरोड, वृत–भिवाडी (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 560/अपील्स–।।/जयपुर/वि.वृ.राज./2013–14 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78(5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 67,325/–को अपास्त किया है।

प्रकरण के के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16.10.20012 को वाहन संख्या डीएल–1एल–सी–7517 को शाहजहांपुर के पास रोककर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चेक किया। वक्त चेकिंग वाहन में लदा माल स्प्रिट के समर्थन में दस्तावेजों प्रस्तुत किये गये,जिनकी जांच पर पाया गया कि वाहन में लदा माल उदयपुर से गाजियाबाद स्टॉक ट्रांसफर पर जा रहा है, जिसके साथ घोषणा पत्र एसटी 18सी संलग्न नही है। वक्त चेकिंग दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र एस टी 18सी संलग्न नहीं था,जिसका संलग्न होना आवश्यक है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (2)(ए) का उल्लंघन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में दिनांक 6.10.2001 को प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा पत्र 18सी संख्या 184/20 पूर्ण रूप से भरा हुआ पेश किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए एवं जवाब के साथ घोषणा पत्र एस टी 18सी प्रस्तुत करने को बाद की सोच मानते हुए अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत रू. 67,325/– शास्ति आरोपित कर आदेश

दिनांक 17.10.2001 पारित किया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2010 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग परिवहनित किया जा रहा माल स्टॉक ट्रांसफर पर जा रहा था,जिसके साथ अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषणा पत्र एस टी 18सी होना आज्ञापक है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र एस टी 18सी नही होने कारण अधिनियम की धारा 78(2)(ए) उल्लंघन होने से कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रू. 67,325/–आरोपित की, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपीलधीन आदेश दिनांक 25.01.2010 पारित किया है,जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय को उद्धरित करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माल रवाना करने से पूर्व परिवहनित माल से सभी सम्बन्धित तैयार कर वाहन चालक को दिये गये थे किन्तु वाहन चालक की भूल से घोषणा पत्र एस टी 18सी उदयपुर में ही रह गया। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस दिनांक 16.10.2001 को दिनांक 23.10.2001 के लिए जारी किया गया था किन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से दिनांक 16.10.2001 यानी नोटिस जारी करने की दिनांक को ही नोटिस के जवाब के साथ घोषणा पत्र एस टी 18सी संख्या 184/20 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, किन्तु उस पर विचार किये बिना ही शास्ति आरोपित की गई है, जो अनुचित एवं अविधिक है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने के साथ ही अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी पी मेटल 124 एस टी सी 611 के प्रकरण में पारित निर्णय को उद्धृत किया तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट–2 पेज 49 एवं मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता बांसवाडा के प्रकरण में पारित निर्णयों को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया करने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायलय के उपरोक्त उद्धृत निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 16.10.20012 को वाहन संख्या डीएल–1एल–सी–7517 को शाहजहांपुर के पास रोककर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चेक किया। वक्त चेकिंग वाहन में लदा माल स्प्रिट के समर्थन में दस्तावेजों प्रस्तुत किये गये,जिनकी जांच पर पाया गया कि वाहन में लदा माल उदयपुर से गाजियाबाद स्टॉक ट्रांसफर पर जा रहा है, जिसके साथ घोषणा पत्र एसटी 18सी संलग्न नही है। वक्त चेकिंग दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र एस टी 18सी संलग्न नहीं था,जिसका संलग्न होना आवश्यक है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (2)(ए) का उल्लंघन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में दिनांक 6.10.2001 को प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा पत्र 18सी संख्या 184/20 पूर्ण रूप से भरा हुआ पेश किया गया, जिससे अमान्य करते हुए शास्ति आरोपित की गई है।

प्रकरण के तथ्यों से उजागर होता है कि वक्त चेकिंग पाया गया माल स्टॉक ट्रांसफर के रूप में उदयपुर से गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के लिए परिवहनित किया जा रहा था, जिसके साथ घोषणा पत्र एस टी 18सी होना आवश्यक था, जो परिवहनित माल के साथ नहीं था, किन्तु नोटिस के जवाब में नोटिस जारी होने की दिनांक घोषणा पत्र 18सी नहीं होने के तथ्यों को उजागर करते हुए घोषणा पत्र एस टी 18सी संख्या 184/20 प्रस्तुत कर दिया गया था। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वक्त जांच दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र 18 सी नहीं होना सद्भाविक (**bonafide**) भूल है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स पी. मेटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में शास्ति आरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रृटि नहीं की है।

उक्त सन्दर्भ में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उद्धृत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट–2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश को उद्धृत किया जाना समीचीन है :–

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

"The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता बांसवाडा के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".............On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति उचित नहीं है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.20103 को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य